

अति-आवश्यक / महत्वपूर्ण
विधानसभा मामला

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
एल.एम. बंध कार्यालय परिसर, शास्त्री नगर, दिल्ली-110031
दूरभाष संख्या: 22424989

सं. सी.ई.एफ/एस.एस.डब्ल्यू/वि.स.सत्र/2019/8258-61

दिनांक 28-11-19

सेवा में

उप-सचिव (प्रश्न शाखा)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

विषय:-विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 55 दिनांक 02-12-2019 के संबध मे।

महोदय,

आपके पत्र संख्या एफ.11(बी-1)VI/2015-20/वि.स.स./प्रश्न शाखा/ 2233 दिनांक 22-11-2019, जो कि सिंचाई एवं बाढ़. नियंत्रण मंत्री के सचिव को संबोधित है, के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्न के उत्तर की 100 प्रतियां सूचनार्थ संलग्न है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी से मिली स्वीकृति अनुसार भेजा जाता है।

भवदीय,

संलग्न:- उपरोक्त।

शिव कुमार

(शिव कुमार)

कार्य सर्वेक्षक/नोडल अधिकारी
दिनांक

सं. सी.ई.एफ/एस.एस.डब्ल्यू/वि.स.सत्र/2019/

प्रतिलिपि:-

1. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली -02 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार, वरुणालय, फेज-II करोल बाग, नई दिल्ली -05 को प्रश्न के उत्तर की प्रतिलिपि सहित सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, सूचना एवं प्रसारण निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली -54 को प्रश्न के उत्तर की 150 प्रतियां सहित प्रेषित।

कार्य सर्वेक्षक

अतारांकित प्रश्न संख्या : 55

दिनांक : 2-12-2019

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री ओम प्रकाश शर्मा

क्या माननीय सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि तिमारपुर विधान सभा क्षेत्र चुनाव (क्षेत्र संख्या-03) के अंतर्गत स्थिति माल अपार्टमेंट्स के गेट नंबर 4 से गेट नंबर 3 तथा गेट नंबर 2 (वार्ड संख्या 12 सिविल लाइन क्षेत्र) तक कसेरंटीना कोइल/वायर लगाने का आर्डर 20-12-2017 को अधिशासी अभियन्ता, सी.डी.एक्स, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, एल.एम.बंध ऑफिस काम्पलेक्स कृष्ण कुंज द्वारा जारी हो चुका है।	जी हाँ, पत्र सं० F.DM(c)/MLALAD/AC-3/DUDA/2017-18/5371-87 दिनांक 20-12-2017 के द्वारा इस कार्य को करने के लिए आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हुई।
ख)	इसके लिए कुल कितना बजट स्वीकृत हुआ था,	इस कार्य के लिए 1,78,000/-रूपये का बजट स्वीकृत हुआ है परंतु फिलहाल 50% राशि 89,000/-रूपये, इस विभाग को आबंटित की गयी है।
ग)	यह योजना किन कारणों से तीन वर्ष बाद भी अटकी पड़ी है,	इस कार्य को कार्यान्वित करने से पहले सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है , जो कि अधिशासी अभियन्ता एम-1, सिविल लाइन जोन, एम.सी.डी. डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाना है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
घ)	क्या दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम से इस काम के लिए समन्वय किया है, और	हाँ किया था।
ड.)	इस योजना के कब तक कार्यान्वित हो जाने की आशा है ?	यदि सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त हो जाता है तो यह कार्य 31-01-2020 तक कार्यान्वित हो जायेगा।

शिव कुमार

(शिव कुमार)

नोडल अधिकारी